

मुख्यमंत्री ने Safe and Responsible Migration Initiative (SRMI) का कथि शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

16 दिसंबर, 2021 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय सथति सभागार में प्रवासी मजदूरों के पलायन को सुरक्षति बनाने हेतु बनाई गई पॉलिसी **Safe and Responsible Migration Initiative (SRMI)** का शुभारंभ कथि।

प्रमुख बदि

- वर्तमान में **Safe and Responsible Migration Initiative (SRMI)** पायलट प्रोजेक्ट के तहत दुमका, पश्चिमी सहिभूम तथा गुमला के श्रमकों के पलायन को ध्यान में रखकर नीति बनाई गई है।
- इन तीन जिलों से दलिली, केरल और लेह-लद्दाख इत्यादि जगहों में रोजगार के लयि गए प्रवासी श्रमकों का डाटाबेस तैयार कथि जा रहा है। इन सभी राज्यों से समन्वय स्थापति कर प्रवासी श्रमकों के सामाजकि, आर्थकि और कानूनी हक सुनिश्चति कथि जाएंगे।
- प्रवासी श्रमकों का कसि भी प्रकार से शोषण न हो सके, इस नमितित नयिम बनाए गए हैं। शुरुआती दौर में इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद व्यवस्था के दायरे को और बड़ा बनाया जा सकेगा।
- इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने BOCW के अंतरगत वविह सहायता योजना, मातृत्व प्रसुवधि योजना, अंत्येष्टि सहायता योजना, झारखंड नरिमाण करमकार मृत्यु/दुर्घटना सहायता योजना एवं मेधावी पुत्र-पुत्री छात्रवृत्ति सहायता योजनाओं का लाभ सभागार में उपस्थति लाभुकों के बीच वतिरति कथि।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कसि प्रवासी श्रमकि की मृत्यु होती है तो राज्य सरकार उसके दविगत शरीर को वापस उसके घर लाने की व्यवस्था करेगी तथा अंत्येष्टि का पूरा खर्चा राज्य सरकार ही वहन करेगी। इसके लयि सभी जिलों में कॉरपस फंड की व्यवस्था की जा रही है।
- राज्य के प्रवासी मजदूरों को संरक्षति करने के लयि सरकार द्वारा ई-श्रम पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल के तहत प्रवासी श्रमकों का रजिस्ट्रेशन कथि जाता है, ताकि विपित्त के समय राज्य सरकार उन्हें तत्काल मदद पहुँचा सके।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि तिमलिनाडु, आंध्र प्रदेश इत्यादि राज्यों से रेस्क्यू कर लाई गई युवतियों एवं महिलाओं को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रोजगार देने का काम राज्य सरकार ने हाल के दिनों में कथि है। 2 हजार नयिकर्ता पत्र टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बाँटे गए थे, जनिमें 80% महिलाएँ थीं।